

सूचना अधिकार अधिनियम-2005जनपद सम्भल।

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1) बी0 के अनुसार जनपद सम्भल के पुलिस विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है :-

पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

पुलिस अधिनियम-1861, की धारा-3 के अनुसार जिले में पुलिस अधीक्षक उस राज्य सरकार में निहित होगा, जिसके अधीन ऐसा जिला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी भी पुलिस कर्मचारी को अधिक्रमित या नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं किया जायेगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सद्भाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना। लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

जनपद पुलिस, पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है जनपद में 01 अपर पुलिस अधीक्षक, 04 पुलिस उपाधीक्षक व 11 थानाध्यक्षों के सृजित है।

1.1 जनपद में पुलिस का संगठन-

जनपद में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है-

पुलिस अधीक्षक, जनपद सम्भल		
जनपद स्तर पर क्षेत्राधिकारी	सर्किल स्तर पर क्षेत्राधिकारी	थाना स्तर पर क्षेत्राधिकारी
1.अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद सम्भल।	क्षेत्राधिकारी सम्भल	1.कोतवाली सम्भल
		2.थाना नखासा
		3.थाना हयातनगर
		4.थाना असमोली
	क्षेत्राधिकारी चन्दौसी	5.कोतवाली चन्दौसी
		6.थाना बनियाठेर
		7.थाना कुढ़फतेहगढ़
		8.थाना बहजोई
	क्षेत्राधिकारी गुन्नौर	9.कोतवाली गुन्नौर
		10.थाना धनारी
		11.थाना रजपुरा
	क्षेत्राधिकारी लाईन	12.पुलिस लाईन/पुलिस कार्यालय

क्र० सं०	ईकाई का नाम	पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकारी	पर्यवेक्षक पुलिस अधीक्षक
1.	पुलिस रेडियों शाखा	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक
2.	स्थानिय अभिसूचना ईकाई	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक
3.	यातायात पुलिस	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक
4.	वी०आई०पी०	अपर पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक
5.	पुलिस लाईन	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक
6.	भवन	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक
7.	पत्र व्यवहार शाखा	अपर पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक
8.	नगर नियंत्रण कक्ष	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक
9.	फायर सर्विस सम्मल	क्षेत्राधिकारी सम्मल	पुलिस अधीक्षक
10.	फायर सर्विस चन्दौसी	क्षेत्राधिकारी चन्दौसी	पुलिस अधीक्षक
11.	फायर सर्विस गुन्नौर	क्षेत्राधिकारी गुन्नौर	पुलिस अधीक्षक
12.	आंकिक शाखा	क्षेत्राधिकारी चन्दौसी	पुलिस अधीक्षक
13.	अपराध शाखा	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक
14.	महिला सहायता प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक
15.	सिटीजन चार्टर	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक
16.	विशेष जाँच प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ रहेगा और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों एवं वारण्टों का पालन एवं निस्पादन करें, लोक शान्ति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधों व लोक अवदूषण का निवारण करें, अपराधियों का पता लगाये और नयायालय के समक्ष लाये।

## 2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, 2020, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य है :-

### 2.1 पुलिस अधिनियम

धारा	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य
7	आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्थ पदों के एसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की शक्ति होती है जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षावान पाये जायें।
17	विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शान्ति भंग हुयी हो या होने की गम्भीर सम्भावना हो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है।
22	पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ माने जाते हैं तथा उन्हें जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है।
23	प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों का पालन व निस्पादन करें, लोक शान्ति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधों व लोक अवदूषण का निवारण करें, अपराधियों का पता लगाये

	तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करें, जिनको गिरफ्तार करने के लिए वैधता प्राधिकृत है। तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है। इसके लिए उसे बिना वारंट किसी शराब की दुकान, जुआ घर या भ्रष्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा।
25	लवारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में ले तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे।
30	लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की शक्ति।
30क	उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव का रोकने या बिखर जाने के आदेश देने की शक्ति।
31	सार्वजनिक सड़कों व मार्गों, आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य।
34	किसी व्यक्ति द्वारा किसी पशु का वध करने, उसे निर्दयता से मारने या यातना देने, पशु गाड़ी से यात्रियों को बाधा पहुंचाने, मार्ग पर गन्दगी व कूड़ा फेंकने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों व शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करने पर किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अभिरक्षा में ले लें।
34क	उपरोक्त अपराधों के शमन करने की शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है।
47	ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व।

## 2.2 पुलिस रेगुलेशन

प्रस्तर	कर्तव्य
12 से 16 पुलिस अधीक्षक	<p>पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता, अनुशासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं।</p> <p>पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित हैं तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठेंगे उन्हें स्वतन्त्रापूर्वक वैचारिक संसूचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सूचना के जितने साधन होंगे तदनु रूप उनकी दक्षता होगी। पुलिस पेंशनर्स से उनका सम्पर्क होना चाहिए और उन्हें विनिर्दिष्ट रिति से जिले में थानों व पुलिस लाईन का निरीक्षण करना चाहिए। आबकारी विषयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है।</p> <p>पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से यथा सम्भव वर्ष में एक बार भेंट आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिका में जिले का प्रभार सौंपे जाने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने संबन्धित अंतर्विष्ट अनुदेशों का अनुसरण किया जाना चाहिए।</p>
17 सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक	सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिए बाध्यकारी न हो।
18 से 23 प्रतिसार निरीक्षक	प्रतिसार निरीक्षक के रिजर्व पुलिस लाईन के भार साधक अधिकारी होते हैं जो कि जवानों की साज सज्जा, अनुशासन, प्रशिक्षण के उत्तरदायी होंगे। आयुध वा बारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।
24 रिजर्व सब इन्सपेक्टर	रिजर्व सब इन्सपेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्ड एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवश्यक कार्य को करते हैं।

43 से 50 थानाध्यक्ष	थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह सभी रजिस्ट्रो, अभिलेखो, विवरणियों और रिपोर्टों की शुद्धता के लिए अधिनस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा। उसे क्षेत्र के सभी सम्भ्रान्त व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उसे थाने की परीधि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से करते रहना चाहिए। थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कास्टेबिल थाने का भार साधक अधिकारी होगा किन्तु वह तफतीश नहीं करेगा। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म नम्बर 299 भरकर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेंगे।
51	थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना , भारसाधक अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त निर्देशो को अधिनस्थो को बताना, अनवेषण करना होता है।
55 हेड मोहरीर	<b>हेड मोहरीर के कर्तव्य</b> 1.रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना। 2.हिन्दी रोकड़ बही (पुलिस फार्म नम्बर 224) 3.यदि पुलिस अधीक्षक आदेश दे तो धारा 174 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पंचायतनामा लिखना।
61 से 64 वीट आरक्षी	कान्सटेबिल नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओ पर नम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधो की रोकथाम करना है। थाने पर सन्तरी डियूटी के समय वह अभिरक्षाधीन कैदियों, कोष तथा मालखाना एवं थाने के अन्य संपत्तियों की रक्षा करेगा। वीट कान्सटेबिल के रूप में संदिग्ध अपराधियों फरार अपराधी तथा खानाबदोश अपराधियों की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा।
65 से 69 सशस्त्र पुलिस	सशस्त्र पुलिस के रूप में खजानों, हवालातों के संरक्षक, कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल, आयुध भण्डार, अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।
79 से 83 घुड़सवार	घुड़सवार पुलिस द्वारा उत्सवों या अन्य आयोजनों में भीड़ नियंत्रण का कार्य किया जाता है।
89 से 96 चौकीदार	ग्राम चौकीदार द्वारा अपने प्रभाराधीन गाँवों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार कराने का दायित्व होता है।

### 2.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता

द0प्र0सं0 की धारा	अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य
36	पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र में नियुक्त है उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाता है।
41	बिना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओं में करने की शक्तियों 1.सज्ञेय अपराध की दशा में। 2.कब्जे से गृह भेदन का उपकरण। 3.उद्घोषित अपराधी। 4.चुराई गयी सम्पत्ति की संभावना। 5.पुलिस अधिकारी के कर्तव्य व पालन में बाधा। 6.सशस्त्र बलों का भगोड़ा। 7.भारत के बाहर भारत में दण्डनीय किया गया अपराध।

	8.छोड़े गये सिद्धदोष बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर। 9.वांछित अपराधी।
42	नाम व निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी
47	उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।
48	गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी का उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति।
49	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उतने से अधिक अवरूद्ध नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
50	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों पर जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना।
51	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी।
52	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अकामक आयुधों को अधिग्रहण करने की शक्ति।
53	पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
54	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
56	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
57	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरूद्ध न रखना।
58	बिना वारण्ट की गिरफ्तारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना।
60	अभिरक्षा से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी गिरफ्तार करने की शक्ति।
100	बन्द स्थान के भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, तलाशी लेने देंगे।
102	ऐसी वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की शक्ति जिनके सम्बन्ध में चोरी की हुई होने का सन्देह हो।
129	उपनिरीक्षक व उससे उच्च समस्त अधिकारियों को पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने की शक्ति।
130	ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।
131	जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारियों की शक्ति।
132	धारा-129, 130, 131 के अधीन सदभावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से संरक्षण।
149	प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा।
150	संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की सूचना।
151	उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार।
152	लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार।
153	खोटे बॉट मापों का <a href="#">निरीक्षण/अधिग्रहण</a> ।
154	संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भारसाधक अधिकारी के निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निशुल्क दी जायेगी। भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।
155	असंज्ञेय मामलों में थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला का सार सम्बन्धित पुस्तिका में प्रविष्टि करायेगा और इत्तिला देने वाले मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दिष्ट करेगा।

156	संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी को शक्ति।
160	अन्वेषण के अन्तर्गत साक्ष्यों की हाजरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
161	पुलिस द्वारा साक्ष्यों का परिक्षण किये जाने की शक्ति।
165	अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। तलाशी एवं जब्ती के कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा।
166	अन्वेषणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तलाशी करवा सकता है।
167	जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की शक्ति।
169	साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना।
170	जब साक्ष्य पर्याप्त हो ता मामलो को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना।
172	अन्वेषण में की गयी कार्यवाहियों को केस डायरी मे लखबद्ध किया जाना।
173	अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना।
174	आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना।
175	धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रयोजन से व्यक्तियों को शमन करने की शक्ति।
176	पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

## **2.4 सर्वोच्च न्यायालय मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी निर्देश**

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के बाद निर्णय में गिरफ्तारी निरुद्धीकरण के प्रकरणों में पुलिस जनो के निम्नलिखित दायित्व आवधारित किये गये है।

- 1—गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारकर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पट्टीका धारण की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाये।
- 2—गिरफ्तारी की फर्द गिरफ्तारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के सभ्रान्त व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होंगे व एक प्रति उसे निःशुल्क दी जायेगी।
- 3—पुलिस अभिसुक्षा में उसे अपने रिश्तेदार या मित्र से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके निकट सम्बन्धी को दी जायेगी।
- 4— गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के रिश्तेदार को निरुद्ध रखने के स्थान के बारे में बताया जायेगा।
- 5— गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचित करने वह अधिकृत है।
- 6— गिरफ्तारी की सूचना को थाने के गिरफ्तारी रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा।
- 7— गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
- 8— गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रशिक्षित डाक्टर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
- 9— गिरफ्तारी के सभी अभिलेखों की प्रतियां क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जाएंगी।
- 10—जाँच काल में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
- 11—गिरफ्तारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जायेगी।

## **2.5 अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व**

पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0 परिपत्र संख्या 35/2005 दिनांक: 9 जुलाई, के द्वारा जनपद नियुक्ति के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियों और दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

## **2.5.1 कर्तव्य**

### **2.5.1.1 संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही सम्बन्धी:-**

- 1-संगठित अपराधियों तथा भाडे पर हत्या, फिरौती हेतु अपहरण, रोल्ड होल्डअप, बैंक डकैती, आटोलिफ्टर, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, हवाला व्यापार करने वाले, नक्सलवादी गैंग एवं राष्ट्र विरोधी तत्व, माफिया आदि को चिन्हित कर उनकी गैंगवार सूची तैयार करना एवं तत्सम्बन्धी सभी सूचनायें एकत्र कर उन्हें पंजीकृत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना।
- 2-पंजीकृत अपराधियों का डोजियर तैयार करना।
- 3-संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्ययोजना तैयार करके जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
- 4-संगठित अपराधियों की गिरफ्तारी होने पर विस्तृत पूछ-ताछ आख्या तैयार करना।

### **2.5.1.2 सक्रिय एवं वांछित अपराधी सम्बन्धी:-**

- 1-सक्रिय एवं वांछित अपराधियों की सूची तैयार करना, हिस्ट्रीशीट खुलवाना, गिरफ्तारी हेतु कार्ययोजना बनाकर दबिश दिलवाना।
- 2-फ़ॉड अपराधियों के विरुद्ध पुरस्कार घोषित करवाना।

### **2.5.1.3 अपराधियों की अभिसूचना एकत्रिकरण:-**

- 1-पेशेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रिकरण हेतु स्रोत बनाना।
- 2-जेल में बन्द पेशेवर अपराधियों की जानकारी करना।
- 3-जेल से छूटने वाले पेशेवर अपराधियों की निगरानी।
- 4-अन्य माध्यमों से अपराधिक अभिसूचना एकत्रिकरण।

### **2.5.1.4 विशेष अपराधों के सम्बन्ध में:-**

- 1-समस्त विशेष अपराधों के घटना स्थल का निरीक्षण।
- 2-क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।
- 3-क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एस0आर0 केस, राजनीतिक हत्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार के साथ हत्या, ऐसी हत्या जो सामान्य कानून को प्रभावित करती हो, डकैती, फिरौती, अपहरण हत्या सहित लूट, सनसनीखेज लूट, पुलिस अभिरक्षा से पलायन, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, गैंगस्टर एक्ट के केसों को छोड़कर शेष समस्त एस0आर0 केस की क्रमागत आख्या का अनुमोदन (प्रथम व अन्तिम को छोड़कर) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

य-क्षेत्र के थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

र-फिक्स पिकेट एवं गश्त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था करना।

ल-क्षेत्र के समस्त थानों का दो माह में एक बार अर्दली रूम करना।

### **2.5.1.5 अभियोजन**

न्यायालय में लंबित की प्रभावी पैरवी, पैरोकार/कोर्ट मोहर्नर की मासिक बैठक तथा सेशन ट्रायल अभियोगों में विमुक्ति आख्या का विश्लेषण करना।

## 2.5.2 अपर पुलिस अधीक्षकों के अधिकार

### 2.5.2.1 स्थानान्तरण सम्बन्धी:-

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एक-252-84 दिनांक: 08.01.1985 के प्रस्तर 5 के बिन्दु संख्या 4 में निहित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही स्थानान्तरण के सम्बन्ध में की जायेगी।

### 2.5.2.2 वार्षिक मन्तव्य:-

शासनादेश संख्या: 1460/छ:-पु-1-99-51/99 के अनुसार वार्षिक मन्तव्य का अकन करना।

### 2.5.2.3. दण्ड सम्बन्धी-

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रचलित नियमावली के अनुरूप अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जाँच करायी जा सकती है परन्तु जाँच आख्याओं पर दण्ड पत्रावली खुलवाने का अधिकार जनपदीय पुलिस अधीक्षक का ही होगा।

## 2.6 संसद व विधानमण्डल द्वारा समय-समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उनमें अपेक्षित कर्तव्य:-

संसद व विधानमण्डल द्वारा समय-समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस बल को दिशा-निर्देश न प्राप्त होते रहते हैं जिनके आधार पर पुलिस बल से अपेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

## 3. निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर

### 3.1. अनुसंधान/विवेचना

क्र० सं०	कार्यवाही	कार्य स्तर	अवधि
1	प्र0सू0रि0 का पंजीकरण	154 द0प्र0सं0 के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।	अविलम्ब
2.	साक्षियों का परीक्षण	161 द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
3.	अन्वेषण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
4.	पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	विशेष अपराधों की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है।	यथाशीघ्र
5.	साक्ष्य का संकलन	द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
6.	नक्शा नजरी तैयार करना	"	निरीक्षण के समय



7.	अभियुक्तों की गिरफ्तारी	“	यथाशीघ्र
8.	संस्वीकृति का लिखा जाना	“	“
9.	पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना	“	“
10.	तलाशी	“	“
11.	निरुद्ध	“	“
12.	अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना	“	“
13.	आरोप पत्र का दाखिल करना	“	“

### 3.2 नियन्त्रण कक्ष

जनपद के नियन्त्रण कक्ष कमाण्ड और कन्ट्रोल संघटक के रूप में जनपद के तंत्रिका तन्त्र की तरह कार्य करता है जो कानून व्यवस्था, अपराध यातायात समस्या व अन्य संगत समस्याओं की सूचना प्राप्त करता है तथा स्थानीय पुलिस को उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। अन्य अपदाओं के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करता है। जनपद में वर्तमान में निम्नलिखित नियन्त्रण कक्ष स्थापित है।

क्र० सं०	नियंत्रण कक्ष	टेलीफोन नं०	कार्य
1.	जिला नियंत्रण कक्ष	05921-100	जनपद के अन्तर्गत स्थित 11 थानों में सूचारु संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष पुलिस लाईन परिसर में स्थित है। जनपद में आपराधिक सूचनाओं के आदान-प्रदान, वीआईपी भ्रमण कार्यक्रम तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व जिला नियंत्रण कक्ष का होता है इसके अन्तर्गत हाईवे प्रथम द्वितीय मोबाईल कार्यरत है।
2.	फायर नियंत्रण कक्ष सम्भल	05923-234332 9454418530	जनपद में यह फायर नियंत्रण कक्ष सम्भल में स्थापित है। अग्निकाण्ड सम्बन्धी किसी भी सूचना पर फायर नियंत्रण कक्ष द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है।
3.	फायर नियंत्रण कक्ष चन्दौसी	05921-250262 9454418532	जनपद में यह फायर नियंत्रण कक्ष चन्दौसी जनपद सम्भल में स्थापित है। अग्निकाण्ड सम्बन्धी किसी भी सूचना पर फायर नियंत्रण कक्ष द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है।
4.	फायर नियंत्रण कक्ष गुन्नौर	9454418516	जनपद में यह फायर नियंत्रण कक्ष गुन्नौर जनपद सम्भल में स्थापित है। अग्निकाण्ड सम्बन्धी किसी भी सूचना पर फायर नियंत्रण कक्ष द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

इन नियन्त्रण कक्षों पर 24 घन्टे कन्ट्रोल रूम आपरेट की नियुक्ति रहती है। इन पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लागबुक में लाग किया जाता है तथा सम्बन्धित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है।

### 3.3. शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया

#### 3.3.1. थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1.	थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	थानाध्यक्ष/दिवसाधिकारी/उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा	तत्काल
2.	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले का नाम आगन्तुक रजिस्टर में अंकित करना	दिवसाधिकारी/उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा	अविलंब
3.	प्रार्थना पत्र को जनशिकायत रजिस्टर में अंकित करना	उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा	अविलंब
4.	जाँच अधिकारी नियुक्त करना व जाँच हेतु सौंपना	थाना प्रभारी द्वारा	1 दिवस में
5.	जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जाँच अधिकारी द्वारा	5 दिवस में
6.	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच की समीक्षा करना	थानाध्यक्ष द्वारा	1 दिवस में
7.	जाँच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही, यदि आवश्यक हो, कराना।	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलंब
8.	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	सम्बन्धित कां० क्लर्क द्वारा	1 वर्ष तक

#### 3.3.2 पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय की प्रधान लिपिक शाखा में उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
2.	पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना	पुलिस अधीक्षक/निमित्त राजपत्रित अधिकारी	1 दिवस
3.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना	पुलिस अधीक्षक	1 दिवस
4.	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
5.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जाँच हेतु भेजना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	2 दिवस
6.	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० क्लर्क द्वारा आर्डर बुक करना	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० क्लर्क द्वारा	अविलंब

7.	सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच हेतु रखना या सम्बन्धित उपनिरीक्षक/बीट आरक्षी को जाँच हेतु भेजना	थानाध्यक्ष द्वारा	2 दिवस
8.	जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जाँच अधिकारी द्वारा	8 दिवस
9.	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच रिपोर्ट की समीक्षा करके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करना	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलंब
10.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जाँच सही पाये जाने पर जाँच रिपोर्ट को दाखिल दफ्तर किया जाना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	अविलंब
11.	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० क्लर्क द्वारा	2 वर्ष तक

**3.3.3. पुलिस अधीक्षक को शासन, आयोगों व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-**

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1.	पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन करके सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी या थानाध्यक्ष को जाँच हेतु आदेशित करना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	1 दिवस
2.	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व सम्बन्धित को जाँच हेतु प्रेषित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
3.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर स्वयं जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा	7 दिवस में
4.	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां० क्लर्क द्वारा आर्डर बुक करना	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां० क्लर्क द्वारा	अविलंब
5.	पुलिस अधीक्षक द्वारा जाँच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर सम्बन्धित को रिपोर्ट प्रेषित करना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	2 दिवस
6.	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय के कां० क्लर्क द्वारा	2 वर्ष तक

**3.3.4. फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की प्रक्रिया:-**

क्र० सं०	प्रतिष्ठान	पत्र/आदेश प्राप्ति का स्थान	निरीक्षण (द्वारा)	समयावधि
----------	------------	-----------------------------	-------------------	---------

1.	पेट्रोल / डीजल पम्प	जिलाधिकारी कार्यालय से	अग्निशमन अधिकारी	15 दिवस
2.	पेटी / डीलर (फुटकर डीजल / पेट्रोल)	जिलाधिकारी जिलापूर्ति अधिकारी	प्रभारी अग्निशमन अधिकारी	उपरोक्त
3.	गैस एजेन्सी	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
4.	विस्फोटक पदार्थ	जिलाधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
5.	सिनेमा हाल	जिलाधिकारी / मनोरंजनकरअधिकारी कार्यालय	उपरोक्त	उपरोक्त
6.	होटल / लाज / रेस्टोरेन्ट धर्मशाला	जिलाधिकारी / पर्यटन अधिकारी कार्यालय	उपरोक्त	उपरोक्त
7.	व्यावसयिक भवन	कार्यालय विकास प्राधिकरण / आवास विकास निगम	उपरोक्त	उपरोक्त
8.	फैक्ट्री	कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र	उपरोक्त	उपरोक्त

### 3.3.5 जनपद सम्भल में यातायात नियमन:-

जनपद सम्भल में यातायात डाईवर्जन करने के लिए कोई बाईपास की व्यवस्था नहीं है लेकिन श्रवण मास में नेशनल हाईवे पर कांवरियों की आपार भीड हो जाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग से आने वाले वाहनों के आवागमन हेतु निम्न प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। सामान्य परिस्थितियों में यातायात डाईवर्जन श्रवण मास के प्रत्येक शनिवार की प्रातः 7-00 बजे से सोमवार की दोपहर 12-00 बजे तक प्रभावी रहता है।

#### 1-दिल्ली से मुरादाबाद की ओर जाने वाला यातायात:-

दिल्ली से लाल कुआ, (गाजियाबाद) से बुलन्दशहर से नरौरा (वाया डिबाई) से बबराला से बहजोई से चन्दौसी से मुरादाबाद भेजा जाता है।

#### 2-हापुड़ व मेरठ से रामपुर जाने वाला यातायात:-

हापुड़ व मेरठ से गढ़ के मध्य की ओर जाने वाले भारी वाहन गढ़ चौपला जनपद हापुड़ से डायवर्ट कर बुलन्दशहर, नरौरा (जनपद बुलन्दशहर), बबराला (जनपद सम्भल), नरौरा (जनपद बुलन्दशहर) होते हुए गन्तव्य को भेजा जाता है।

#### 3-रामपुर से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात:-

रामपुर की ओर से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनो को जनपद रामपुर क्षेत्रान्तर्गत शाहबाद से डायवर्ट कर बिलारी (मुरादाबाद), चन्दौसी (जनपद सम्भल), बबराला (जनपद सम्भल), नरौरा (जनपद बुलन्दशहर) होते हुए गन्तव्य को भेजा जाता है।

#### 4-सम्भल से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात:-

सम्भल से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को बहजोई, बबराला, डिबाई, बुलन्दशहर होते हुए दिल्ली भेजा जाता है।

#### 5-हसनपुर से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात:-

हसनपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को सम्भल, बहजोई, बबराला, बुलन्दशहर होते हुए दिल्ली भेजा जाता है अथवा अतरासी अमरोहा, नूरपुर/चादंपुर से हल्दौर बिजनौर, मीरापुर, मवाना, मेरठ, मोदी नगर से गाजियाबाद होते हुए दिल्ली भेजा जाता है।

**3.3.6.1 प्रमुख सचिव गृह (पुलिस) अनुभाग-2 के पत्र संख्या: 618/6-पु0-2-2006-200(3)94-टीसी दिनांक: 29.06.2006 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व जुर्माना**

क्र० सं०	अपराध का विवरण	धारा	अधिकतम जुर्माना व सजा
1.	मोटर चालक द्वारा बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना	3 / 181	250-500
2.	किसी अवयस्क द्वारा मोटर गाड़ी चलाना या उसे चलवाना	4 / 181	500 व 3 माह का कारावास व दोनों
3.	बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना	5 / 181	1000 व 3 कारावास या दोनों
4.	बिना पंजीकरण गाड़ी को चलाना	39 / 192	5000-10000 जुर्माना या 6 माह का कारावास या दोनों
5	बिना फिटनेस कराये गाड़ी चलाना	56 / 192	2000-3000 या 6 माह का कारावास या दोनो
6	परमिट के नियमों का उल्लंघन करना या बिना परमिट गाड़ी चलाना	66 / 192	2000-3000 या 6 माह का कारावास या दोनो
7	गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाना	112 / 183	400-1000
8	एक दिशा मार्गों के नियमों का उल्लंघन करना	115 / 194	1000-2000
9	वैधानिक प्रतिबन्धों का उल्लंघन करना या यातायात नियमों का उल्लंघन करना	115 / 194	1000-2000
10	शान्ति क्षेत्र में आज्ञाओं का उल्लंघन करना (वर्जित क्षेत्र)	115 / 194	1000-2000
11	प्रतिबन्धित क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करना	115 / 194	1000-2000
12	बिना किसी संकेत के स्टेयरिंग का बायीं तरफ होना	120 / 177	100-300
13	यातायात चिन्हों का पालन न करना	119 / 177	100-300
14	बिना संकेत के गाड़ी चलाना	121 / 177	100-300
15	खतरनाक दशा में गाड़ी खड़ी करना जिससे यातायात बाधित हो	122 / 177	100-300
16	गाड़ी की छत बोनट पायदान पर बैठकर यात्रा करना या ले जाना	123 / 177	100-300
17	बिना टिकट यात्री वाहन में यात्रा करना	124 / 178	200-300
18	किसी दुपहिया वाहन पर दो सवारी से अधिक बैठाना	128 / 177	100-300
19	बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाना	129 / 177	100-300
20	किसी मोटर चालक से लाइसेंस व गाड़ी के कागज मांगने पर पेश न करना	130 / 177	150-300
21	किसी कन्डेक्टर के द्वारा उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर पेश न करना	130 / 177	150-300
22	किसी टैक्सी या तिपहिया टैम्पों द्वारा सवारी ले जाने से इन्कार करना	178(3)	50-200

23	पुलिस अधिकारी द्वारा गाड़ी रोकने पर	132 / 179	250-500
24	स्टाप लाइन का उल्लंघन	17 / 177	100-300
25	दोषपूर्ण नम्बर प्लेट का वाहन में लगा होना	16 / 177	100-300
26	अधिक धुँआ वाहन से निकलना	190(2)	1000-2000
27	बिना इन्श्योरेंस के वाहन चलाना	146 / 196	1000 व 3 माह का कारावास या दोनों
28	भार वाहन में पशुओं को ले जाना	59 / 177	150-300
29	भार वाहन में अधिक यात्री बैठाकर चलाना	46 / 177	150-300
30	पुलिस द्वारा दिये गये संकेतों का उल्लंघन	119 / 177	100-300
31	बायें से गाड़ी को ओवरटेक करना	110 / 177	100-300
32	बेतहाशा खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना	184 / 202	1000-2000 2 वर्ष का कारावास या दोनों
33	शराब या अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन करना	185 / 202	1000-2000 2 वर्ष का कारावास या दोनों
34	मलिक की बिना अनुमति के गाड़ी ले जाना अथवा चलाना	197 / 202	1000-2000 2 वर्ष का कारावास या दोनों
35	चालक द्वारा अपने दाहिने बैठाकर वाहन चलाना	125 / 177	100-300
36	गाड़ी के रनिंग बोर्ड में सवारी लादना, पायदान, छत पर, बोनट पर या गाड़ी के बाहर लटकाकर चलना	123 / 177	100-300

उपरोक्त धाराओं में किसी वाहन के अभिलेखों को चेक करने तथा संगत अपराध के अनुसार चालान करने की शक्ति जनपद के हे0का0 (प्रोन्नति वेतनमान) एवं उसके ऊपर के समस्त अधिकारियों में निहित है। अधिनियम के अन्तर्गत उक्त धाराओं के उल्लंघन पर मौके पर ही सम्बन्धित पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है। तीन प्रतियों में चालान की प्रविष्टियां की जाती है जो कि तीन विभिन्न रंगों की होती है। लाल रंग की प्रति का न्यायालय/क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है, पीले रंग की प्रति को वाहन चालक को दिया जाता है तथा सफेद प्रति को कार्यालय में रिकार्ड के रूप में रखा जाता है। जनपद में उक्त अधिनियमों में समायोजन सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा 15 दिवस तक किया जाता है। 15 दिवस के अन्दर यदि वाहन चालक समायोजन कराने हेतु उपस्थित नहीं हाता है तो सम्बन्धित प्रपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय भेज दिये जाते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये वाहनो को निरुद्ध किया जाता है जिनका समायोजन केवल सम्बन्धित केवल सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है।

### **3.3.7 शस्त्र लाइसेंस संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया:-**

(पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के आर0टी0संदेश संख्या:वाचक-6/2006(निर्देश) दिनांक: 24.08.2006 के अनुसार)

कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
जिलाधिकारी कार्यालय से शस्त्र प्रार्थना पत्र की प्राप्ति	पुलिस अधीक्षक	कार्य दिवस/कार्यालय अवधि में किसी भी समय
सम्बन्धित थाने को अपराधिक इतिहास व आमशोहरत तथा सत्यापन हेतु भेजा जाना	सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा	07 दिवस में

डीसीआरबी द्वारा जनपद में किये गये अपराध के सम्बन्ध में जाँच किया जाना	प्रभारी डीसीआरबी	04 दिवस में
सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जाँच किया जाना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी	03 दिवस
अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा जाँच किया जाना	अपर पुलिस अधीक्षक	03 दिवस
जिलाधिकारी कार्यालय को लाइसेंस प्रार्थना पत्र संस्तुति/असंस्तुति सहित भेजा जाना	पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा	अविलंब

शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदक सम्बन्धित थाने में प्रार्थना पत्र देता है थानाध्यक्ष की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

### **3.3.8 विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया:-**

#### **3.3.8.1 प्राइवेट वेरीफिकेशन**

कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना	डी.एम. कार्यालय में वहाँ से प्रधानलिकि के पास आयेगा	कार्यालय अवधि में
चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित	अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित	अविलंब
20रु0 शुल्क के रूप में लिया जाना	शुल्क 20रु0 सम्बन्धित बैंक/ट्रेजरी में जमा कराया जाना	
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जाँच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	1 दिवस में
सम्बन्धित थाने द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	3 दिवस में
एल0आई0यू0 द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	प्रभारी निरीक्षक एल0आई0यू0 द्वारा	6 दिवस में
चरित्र सत्यापन बाद जाँच डी.एम. कार्यालय वापस किया जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	1 दिवस में

#### **3.3.8.2. पुलिस वेरीफिकेशन**

कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
पुलिस विभाग में चयनित पुलिस कर्मियों के सत्यापन पुलिस कर्मियों के नियुक्ति स्थल से कर्मियों के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जाँच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
सम्बन्धित थाने द्वारा जाँच व सत्यापन	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	3 दिवस में

किया जाना		
एल0आई0यू0 द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	उपनिरीक्षक एल0आई0यू0 द्वारा	3 दिवस में
चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलंब

### 3.3.8.3. सर्विस वेरीफिकेशन

कार्य	किसके स्तर से कार्यावाही अपेक्षित	समय अवधि
सरकारी विभाग में चयनित सरकारी कर्मियों के सत्यापन सरकारी कर्मियों के नियुक्ति स्थल से कर्मियों के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जाँच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
सम्बन्धित थाने द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	3 दिवस में
एल0आई0यू0 द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा	3 दिवस में
चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलंब

### 3.3.8.4. मिलीट्री सर्विस वेरीफिकेशन:—

कार्य	किसके स्तर से कार्यावाही अपेक्षित	समय अवधि
मिलीट्री विभाग में चयनित सैन्य कर्मियों के सत्यापन सैन्य कर्मियों के नियुक्ति स्थल से कर्मियों के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जाँच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	तत्काल
सम्बन्धित थाने द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	3 दिवस में
एल0आई0यू0 द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	उपनिरीक्षक एल0आई0यू0 द्वारा	3 दिवस में
चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलंब

### 3.3.8.5. ठेकेदारी वेरीफिकेशन

कार्य	किसके स्तर से कार्यावाही अपेक्षित	समय अवधि
जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय शपथ-पत्र के पुलिस कार्यालय में	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में



प्राप्त होना		
चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20रू0 शुल्क के रूप में लिया जाना	सम्बन्धित द्वारा स्वयं बैंक/ट्रेजरी में जमा करना	अविलंब
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जाँच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
सम्बन्धित थाने द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	7 दिवस में
सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा सत्यापन को संस्तुति/असंस्तुति	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	7 दिवस में
एल0आई0यू0 द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	उपनिरीक्षक एल0आई0यू0 द्वारा	7 दिवस में
चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद/डी.एम. कार्यालय को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलंब

#### 4. कर्तव्य के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मापदण्ड:-

##### 4.1.जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार की जांचो के लिए निर्धारित किये गये मापदण्ड:-

क्र0 सं0	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड
1.	अनुसंधान/विवेचना	दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप निर्धारित समय अवधि में
2.	थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	7 दिवस में
3.	पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	15 दिवस में
4.	पुलिस अधीक्षक को विभिन्न स्तरों प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	12 दिवस में
5.	फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण	15 दिवस में
6.	पासपोर्ट की जाँच उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 616भा/छ: वीजा अनुभाग-4-2005-17/2/64/99 दिनांक: 21.10.2005 के अनुसार	20 दिवस में
7.	शस्त्र लाइसेंस की संस्तुति किया जाना	20 दिवस में
8.	प्राइवेट वेरीफिकेशन	14 दिवस में
9.	पुलिस वेरीफिकेशन	6 दिवस में
10.	सर्विस वेरीफिकेशन	6 दिवस में
11.	मिलिट्री सर्विस वेरीफिकेशन	6 दिवस में
12.	ठेकेदारी वेरीफिकेशन	21 दिवस में

## 4.2. पुलिस आचरण के सिद्धान्तः-

- 1-भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गये पूर्ण सम्मान करना।
- 2-बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।
- 3-पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
- 4-कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
- 5-पुलिस जन मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
- 6-पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
- 7-प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
- 8-पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सदभाव हृदय में रखना।
- 9-प्रत्येक पुलिस जन विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।
- 10-हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
- 11-पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।
- 12-पुलिस जन को उच्छकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।
- 13-सर्वधर्म सम्भाव एवं लोक तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सोहार्द व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

## 5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेखः-

### क्र०सं० अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन का नाम

- 1-पुलिस अधिनियम 1861
- 2-भारतीय दण्ड संहिता 1861
- 3-दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
- 4-उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861
- 5-उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861
- 6-साक्ष्य अधिनियम 1872
- 7-आर्म्स एक्ट 1959
- 8-सिविल अधिकार संरक्षण अधि० 1955
- 9-अनु०जाति व अनु०जनजाति अधि० 1989
- 10-केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधि० 1949
- 11-आवश्यक वस्तु अधि० 155(उ०प्र० संशोधन अधि० 1978)
- 12-चोर बाजारी नियम और आवश्यक वस्तु प्रदय अधि० 1980
- 13-खाद्य अपमिश्रण नियम अधि० 1954

- 14-उपभोक्ता संरक्षण अधि० 1986
- 15-पशु अतिचार अधि० 1861
- 16-भ्रष्टाचान निवारण अधि० 1988
- 17-बन्दी अधि० 1900
- 18-सर्वाजनिक जुआ अधि० 1867
- 19-किशोर न्याय अधि० 1986
- 20-दहेज प्रतिषेध अधि० 1961
- 21-राष्ट्रीय सुरक्षा अधि० 1980
- 22-स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
- 23- स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधि० 1988
- 24-बन्दियों की शिनाख्त अधि० 1930
- 25-लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि० 1980
- 26-विस्फोटक अधि० 1884
- 27-विस्फोटक पदार्थ अधि० 1908
- 28-कुटुम्ब न्यायालय अधि० 1984
- 29-अपराधी परिवीक्षा अधि० 1958
- 30-अनैतिक व्यापार निवारण अधि० 1956
- 31-महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिशोध अधि० 1986
- 32-भारतीय वन अधि० 1927
- 33-वन संरक्षण अधि० 1980
- 34-विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधि० 2004
- 35-बन्दी न्यायालयों में उपस्थिति अधि० 1955
- 36-विष अधि० 1919
- 37-मानव अधिकार संरक्षण अधि० 1993
- 38-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनयम 1994
- 39-रेल अधि० 1989
- 40-रेलवे सुरक्षा बल अधि० 1957
- 41-रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधि० 1966
- 42-पुलिस बल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधि० 1966
- 43-पुलिस द्रोह उद्दीपन अधि० 1922
- 44-राज्य सशस्त्र पुलिस बलों (कानूनों का विस्तार) अधि० 1952
- 45-केबिल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधि० 1995
- 46-ब्याज अधि० 1978
- 47-उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधि० 1986
- 48- उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधि० 1970
- 49- उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999
- 50- उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण नियमावली 1970
- 51- उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधि० 1976
- 52- उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र आरक्षक वर्ग अधि० 1948

- 53- उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावी क्षेत्र अधि० 1983  
 54- उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979  
 55- उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधि० 1944  
 56- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) 1991  
 57- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील नियमावली) 1999  
 58- उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधि० 1955  
 59- उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियावली 1964  
 60- उत्तर प्रदेश गोशाला अधि० 1964  
 61- उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली 1964  
 62- उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधि० 1994  
 63-सूचना प्रौद्योगिकी अधि० 2000  
 64-सूचना का अधिकार अधि० 2005  
 65-वित्तीय हस्त पुस्तिका  
 66-समय-समय पर निर्गत शासनादेश  
 67-उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

इसके अतिरिक्त तत् समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती है।

## 6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी:-

### 6.1. विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख:-

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अपराधों के सम्बन्ध में दी गई सूचनाएं एवं विवेचक के सम्बन्ध में	सभी पुलिस थानों पर	तीन साल
2.	दैनिकी समान्य	सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस अधि०/कर्मचारीगण की रवानगी वापसी ड्यूटी का विवरण	सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में	एक माह सी.ओ. कार्यालय पर उसके बाद 5 साल तक पुलिस कार्यालय के रिकार्ड रूम में
3.	सभी स्टैण्डिंग आर्डर	पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधि/कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण	सभी शाखा व थानों पर	स्थायी रूप से रखा जाएगा राजपत्रित अधिकारी के आदेश पर ही नष्ट होगी
4.	भगोड़ा(मफरूर) रजिस्टर	सभी फरार अपराधियों का विवरण	सभी थानों पर	5 वर्ष
5.	रोकड़ बही	धनराशि की आमद व खर्च का विवरण	सभी थाने/पुलिस लाइन में	एक वर्ष थाना इकाई उसके बाद 9 वर्ष तक पुलिस आफिस

				रिकार्ड रूम में
6.	आरोप पत्र	अभियोग में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
7.	चिक खुराक	अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति है	सभी पुलिस थाने पर	तीन साल
8.	356 द0प्र0सं0 के अधीन दोष सिद्ध अपराधी रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो
9.	432 द0प्र0सं0 के अधीन सशर्त मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो
10.	गोपनीय सप्ताहिक रिपोर्ट	थाना क्षेत्र की साम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
11.	अपराध रजिस्टर	थाना क्षेत्र में हुए अपराधिक घटनाओं का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	पाँच साल
12.	चौकीदारों का अपराध नोट बुक	चौकीदार के ग्राम में घटित घटनाओं का विवरण	सूची चौकीदार के पास	चौकीदार को जब तक नई नोट बुक प्रदान न की जाए
13.	ग्राम अपराध रजिस्टर (रजिस्टर नं0 8)	उस गांव में घटित होने वाले अपराध का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी रूप में
14.	डिफाल्टर रजिस्टर	कर्मचारी की त्रुटि व उसके लिए दी गई हिदायत का उल्लेख	सभी थानो/पुलिस लाईन में	एक साल पूर्ण होने के बाद
15.	केस डायरी	विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण	सभी थानों/विवेचको के पास	पाँच साल
16.	अन्तिम रिपोर्ट	अभियोग में विवेचनोपरान्त प्रेषित रिपोर्ट	सभी थाना पर	एक साल
17.	अगुष्ट छाप रजिस्टर	अपराधियों का नाम पता जिसका अगुष्टछाप लिया गया है।	सभी थाना पर	स्थानी रूप में
18.	चिक गैरदस्तन्दाजी	अहस्तक्षपीय अपराधों के सूचक	सभी थाना पर	तीन साल
19.	गिरोह रजिस्टर	पजीकृत गैंगों का विवरण	सभी थाना पर व डीसीआरबी में	पूर्ण होने के पाँच साल तक
20.	मरम्मत रजिस्टर	मरम्मत के लिए प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण	सभी थाना पर	दो साल
21.	जॉचोपरान्त 'अ'	थाना क्षेत्र के दुराचारियों के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र	सभी थाना पर	तीन साल
22.	जॉच पर्ची 'ब'	थाना क्षेत्र में मिलने वाले संदिग्ध आचरण के व्यक्तियों के लिए जारी पत्र.	सभी थानो पर	तीन साल

23.	सूची हिस्ट्रीशीट	दुराचारियों का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी रूप से
24.	पंचायतनामा जिल्द	अस्वभाविक मृत्यु की जाँच का विवरण	सभी थाना पर	एक साल
25.	निरीक्षण पुस्तिका	निरीक्षण का विवरण	सभी थाना पर व शाखाओं में	पाँच साल
26.	माल मसरूका रजिस्टर	चोरी/लूटी गयी एवं बरामद सम्पत्ति का विवरण	सभी थाना पर	पाँच साल
27.	रिमाण्डशीट पुलिस प्रपत्र	अभियुक्तों को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र	सभी थाना पर	एक साल
28.	मजिस्ट्रेटों के लिए निरीक्षण पुस्तिका	मजिस्ट्रेटों के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख	सभी थाना पर	पूर्णता से पाँच साल तक
29.	109 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही	संदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	सभी थाना पर	दो वर्ष
30.	110 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही	अभ्यस्त अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	सभी थाना पर	दो वर्ष
31.	थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका	क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनाएँ	सभी थाना पर	स्थाई
32.	परिपत्र सूचनाओं की फाईल	समस्त परिपत्र	सभी कार्यालयों में	किसी राजपत्रित अधिकरी के नष्ट किये जाने के आदेश तक
33.	परिपत्र अनुदेशों की फाईल	परिपत्रों सम्बन्धी निर्देश	सभी कार्यालयों में	किसी राजपत्रित अधिकरी के नष्ट किये जाने के आदेश तक
34.	अपराधी जन जातियों का रजिस्टर	अपराधी जन जातियों के सम्बन्ध में	सभी थानों पर	उनके मृत्यु तक
	सक्रिय अपराधी रजिस्टर	क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र के सक्रिय अपराधों की सूची	सभी थानों पर	निगरानी उचित समझे जाने तक
35.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	सभी थानों पर	दो वर्षों तक
36.	आर्डर बुक न्यायालय	कोर्ट प्रोसीजर की सूची	सभी थानों पर	पाँच वर्षों तक
37.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र.	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	सभी थानों पर	पाँच वर्षों तक
38.	भवन रजिस्टर	थाने की खसरा खतौनी व भवनों के सम्बन्ध में सभी थानों पर	सभी थानों पर	स्थायी
39.	गुमशुदगी रजिस्टर	गुमशुदा व्यक्तियों के सम्बन्ध में	सभी थानों पर	स्थायी

40.	गिरफ्तारी रजिस्टर	गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना	सभी थानों पर	पाँच वर्ष
41.	जमानत रजिस्टर	दी जाने वाली जमानतों का विवरण	सभी थानों पर	पाँच वर्ष
42.	काज लिस्ट रजिस्टर	न्यायालय द्वारा अभियोजन की तिथियों व कार्यवाही का विवरण	सभी थानों पर	पाँच वर्ष
43.	जनशिकायत रजिस्टर	थाना कार्यालय/अन्य कार्यालय में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र	सभी थानों/कार्यालयों पर	दो वर्ष
44.	किरायेदार सत्यापन रजिस्टर	क्षेत्र के किरायेदारों के सत्यापन के सम्बन्ध में	सभी थानों पर	स्थायी
45.	नियुक्ति रजिस्टर	थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में	सभी थानों पर	स्थायी
46.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	सभी कार्यालयों में	एक वर्ष

## 6.2 क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख:-

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	अपराध रजिस्टर	सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरियों का संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	पाँच वर्ष तक
2.	जेड रजिस्टर	केस डायरियों का न्यायालय भेजने के दिनांक: सहित संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थायी
3.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	दो वर्ष
4.	परिपत्र सूचनों की फाईल	समस्त परिपत्र	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
5.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	पाँच वर्ष
6.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	एक वर्ष तक
7.	विशेष अपराध पत्रावलियां	विशेष अपराधों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थायी
8.	जाँच पत्रावलियां	शिकायतों की जाँच के सम्बन्ध में	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	पाँच वर्ष तक

**6.3. अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख:-**

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	5 वर्ष
2.	परिपत्र सूचनओं की फाईल	समस्त परिपत्र	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
3.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	पाँच वर्ष
4.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	एक वर्ष तक
5.	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	स्थायी
6.	जाँच पत्रावलियां	शिकायतों की जाँच के सम्बन्ध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	पाँच वर्ष तक

**6.3. पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख:-**

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	प्रधान लिपिक कार्यालय में	स्थायी
2.	हिस्ट्रीशीट इन्डेक्स	जनपद के दुराचारियों का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
3.	पुरस्कार रजिस्टर	जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	5 वर्ष
4.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय में	5 वर्ष
5.	परिपत्र सूचनओं की फाईल	समस्त परिपत्र	प्रधान लिपिक कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
6.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	पाँच वर्ष
7.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	एक वर्ष तक
8.	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
9.	सर्विस बुक/चरित्र पंजिका	समस्त रैंको के कर्मचारियों के सेवा इतिहास	प्रधान लिपिक कार्यालय	स्थायी
10.	कैश बुक/पे-बिल	समस्त भुगतानों के लेन देन के	आंकिक शाखा	स्थायी



	रजिस्टर	सम्बन्ध में		
11.	आकस्मिकता निधि रजिस्टर	आकस्मिकता निधि पर भारित व्ययों के सम्बन्ध में	आंकिक शाखा	स्थायी
12.	स्टाक रजिस्टर	सामान्य भण्डार की मदों का क्रय व वितरण	पुलिस लाईन	स्थायी
13.	हिन्दी आदेश पुस्तिका	समस्त आदेश जिनका प्रभाव वित्तीय भार पर पड़ता है	पुलिस लाईन	40 वर्षों तक

### 7. जनता की परामर्श दायी समितियां:-

क्र० सं०	समिति का नाम	समिति का गठन	भूमिका एवं दायित्व	गोष्ठियों की आवृत्ति
1.	ग्राम सुरक्षा समिति	प्रत्येक गांव में 15 से 20 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है	गांव में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकाबला करना	समय-समय पर
2.	पुलिस पेन्शनर्स बोर्ड	जनपद के पुलिस पेन्शनर्स के द्वारा गठित होती है	पुलिस पेन्शनर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना	त्रैमासिक
3.	उद्योग बन्धु	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों की बैठक	उद्योगों के विकास में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु	त्रैमासिक
4.	जिला सड़क सुरक्षा समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की समिति	दुर्घटनाओं के निवारण हेतु	त्रैमासिक
5.	जिला स्तरीय पत्रकार समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद के पत्रकारों की समिति	पत्रकारों की पुलिस से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु	त्रैमासिक
6.	शान्ति समिति	क्षेत्र के समभ्रान्त नागरिकों की समिति	सम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने हेतु	आवश्यकतानुसार
7.	मेला समिति	मेले से सम्बन्धित समभ्रान्त नागरिकों की समिति	प्रमुख मेलों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु	मेले के आयोजन से पूर्व
8.	सांसद व विधायकगण की गोष्ठी	समस्त सांसद व विधायकगण की गोष्ठी	शिकायतों के निस्तारण व सुझाव/परामर्श केन्द्र	मासिक

### 8. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय:-

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

**9. जनपद सम्मल के पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टेलीफोल डायरेक्ट्री**

नाम/पद पुलिस अधिकारीगण		आवास नम्बर	कार्यालय नम्बर	मोबाइल नम्बर (व्यक्तिगत)	सी0यू0जी0 मोबाइल नम्बर
पुलिस अधीक्षक, जनपद सम्मल	श्री रवि शंकर छवि	05921-243118	05921-243117	—	9454400430
अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद सम्मल	श्री पंकज कुमार पाण्डेय	05923-231240	05923-233240	—	9454401093
क्षेत्राधिकारी सम्मल	श्री गमलेश्वर विल्टोरिया	—	05923-230231	—	9454401546
क्षेत्राधिकारी चन्दौसी	श्री ओमकार सिंह	—	—	—	9454401547
क्षेत्राधिकारी गुन्नौर	श्री सुदेश कुमार	—	—	—	9454401321
क्षेत्राधिकारी लाईन	श्री अकील अहमद	—	—	—	9454457659
क्षेत्राधिकारी यातायात		—	—	—	9454457659
प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाईन	श्री देवेन्द्र कुमार	—	—	—	9454405131
मुख्य अग्निशमन अधिकारी	श्री प्रताप सिंह	—	—	—	7839861585
फायर सर्विस सम्मल	श्री महावीर सिंह	—	—	—	9454418530
फायर सर्विस चन्दौसी	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	—	—	—	9454418532
फायर सर्विस गुन्नौर	श्री नारायण सिंह	—	—	—	9454418516
अभिसूचना शाखा	श्री योगेश कुमार शर्मा	—	—	—	9454405130
जिला नियंत्रण कक्ष	श्री मौहम्मद जैदी	—	—	—	9454405190
प्रभारी निरीक्षक सम्मल	श्री अनिल कुमार समानिया	—	05923-231457	—	9454404055
प्रभारी निरीक्षक नखासा	श्री दुर्गेश मिश्र	—	05923-234284	—	9454404053
प्रभारी निरीक्षक हयातनगर	श्री अनिल कुमार	—	05923-272307	—	9454404040
थानाध्यक्ष असमोली	श्री राजवीर सिंह यादव	—	05923-221564	—	9454404029
प्रभारी निरीक्षक चन्दौसी	श्री अमित कुमार	—	05921-250039	—	9454404035
प्रभारी निरीक्षक बहजोई	श्री ब्रजमोहन गिरि	—	05921-243229	—	9454404030
थानाध्यक्ष बनियाठेर	श्री सोलंकी	—	05921-255654	—	9454404031
थानाध्यक्ष कुढफतेहगढ़	श्री बब्लू सिंह	—	05921-233147	—	9454404046
प्रभारी निरीक्षक गुन्नौर	श्री विनय कुमार	—	05836-233477	—	9454402938
थानाध्यक्ष रजपुरा	श्री राजकुमार	—	—	—	9454402946
थानाध्यक्ष धनारी	श्री अता मौहम्मद	—	—	—	9454402936

**10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक:-**

**10.1 सशस्त्र व नागरिक पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन:-**

क्र० सं०	पद	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1.	पुलिस अधीक्षक जनपद सम्मल	रु० 78800-209200	—	450
2.	अपर पुलिस अधीक्षक	रु० 78800-209200	800	300
3.	पुलिस उपाधीक्षक	रु० 67700-208700	800	300
4.	निरीक्षक	रु० 44900-142400	1200	188
5.	उप निरीक्षक	रु० 35400-112400	1200	188
6.	मुख्य आरक्षी	रु० 25500-81100	1500	188
7.	आरक्षी	रु० 21700-69100	1500	188
8.	अनुचर	रु० 18000-56900	1350	156

**10.2 रेडियो शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन:-**

क्र० सं०	पद	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1.	रेडियो निरीक्षक	44900-142400	1200	188
2.	रेडिया अनुरक्षण अधिकारी/रे० केन्द्र			
3.	हैड आपरेटर	35400-112400	1200	188
4.	सहायक परिचालक	29200-92300	1500	188
5.	अनुचर/सन्देशवाहक	19900-63200	1350	156

**10.3 फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन:-**

क्र० सं०	पद	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1.	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	44900-142400	800	188
2.	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	35400-112400	1200	188
3.	लीडिंग फायर मैन/हे०का० ड्रा० फायर सर्विस	25500-81100	1500	188
4.	फायरमैन	21700-69100	1500	188
5.	अनुचर	18000-56900	1350	156

**10.4. लिपिक वर्गीय अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक:-**

क्र० सं०	पद	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	विशेष भत्ता
1.	एस०आई० (एम०)	35400-112400	1200	188	60
2.	ए०एस०आई० (एम०)	29200-92300	1200	188	—
3.	उर्दू अनुवादक, सह कनिष्क लिपिक	21700-69100	—	—	—

**10.5. परिवहन शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक:-**

क्र० सं०	पद	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	विशेष भत्ता
1.	मुख्य आरक्षी	25500-81100	1500	188	300
2.	आरक्षी	21700-69100	1500	188	300

**10.6. स्थानीय अभिसूचना ईकाई के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक:-**

क्र० सं०	पद	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	पौष्टिक आहार भत्ता	विशेष भत्ता
1.	निरीक्षक अभिसूचना	44900-142400	1200	2000
2.	उ०नि० अभिसूचना	35400-112400	1200	2000
3.	मुख्य आरक्षी अभिसूचना	25500-81100	1500	1000
4.	आरक्षी अभिसूचना	21700-69100	1500	1000

**11. बजट**

बजट की वर्तमान स्थिति दिनांक: 31.01.2018 तक जनपद सम्मल ।

क्र० सं०	मद का नाम	प्राप्त अनुदान	व्यय अनुदान	शेष अनुदान	अन्य विवरण
1.	02-मजदूरी	60000-00	59787-00	213-00	
2.	04-यात्रा भत्ता	4607000-00	3049092-00	1557908-00	
3.	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	654000-00	165004-00	488996-00	
4.	08-कार्यालय व्यय	238000-00	243433-00	(-)5433-00	
5.	08-कार्यालय व्यय(सीसीटीएनएस)	76442-00	74607-00	35-00	
6.	09-विधुव व्यय	5324000-00	3000000-00	2324000-00	
7.	10-जलकर/जलप्रभार	374000-00	0	374000-00	
8.	11-लेखन सामग्री	89000-00	88500-00	500-00	
9.	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	37500-00	37500-00	37500-00	
10.	13-टेलीफोन व्यय	33000-00	33000-00	0	
11.	15-गाडियों के डीजल पेट्रोल/अनुरक्षण पर व्यय	6116000-00	6115846-00	154-00	
12.	16-अन्य व्यवसायिक सेवाए	50000-00	30000-00	20000-00	
13.	16- अन्य व्यवसायिक सेवाए (होमगार्डों के मानदेय के भुगतान हेतु)	15900000-00	0	15900000-00	
14.	17-किराया उपशुल्क एवं कर	462000-00	2994-00	459006-00	
15.	20-सहायक अनुदान एवं अंशदान	50000-00	0	50000-00	
16.	23-गुप्त सेवा व्यय	14000-00	10000-00	4000-00	
17.	26-मशीन/सज्जा/उपकरण और संयंत्र	34538-00	0	34538-00	02 अद्द सर्चलाइट

					कय हेतु 06 अद्द लाउड हेलर कय हेतु
18.	26-मशीने साज सज्जा उपकरण और संयंत्र	18000-00	0	18000-00	
19.	29-वार्षिक / विशेष मरम्मत	937500-00	0	937500-00	
20.	29-अनुरक्षण(सीसीटीएनएस अनुरक्षण हेतु)	117500-00	0	117500-00	
21.	42-अन्य व्यय (सुख सुविधा निधि)	195000-00	194380-00	620-00	
22.	42-अन्य व्यय (कल्याण निधि)	105500-00	104160-00	1336-00	
23.	42-अन्य व्यय	89000-00	84058-00	4942-00	
24.	42-मानवाधिकार हनन प्रकरण	75000-00	75000-00	0	
25.	45-अवकाश यात्रा व्यय	31500-00	0	31500-00	
26.	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण पर व्यय	165000-00	164935-00	65-00	
27.	49-चिकित्सा व्यय	125000-00	5485256-00	(-) 5360256-00	
<b>थानो के उपयोगार्थ</b>					
1.	02-मजदूरी	110850-00	110450-00	450-00	
2.	08-कार्यालय व्यय	267500-00	263600-00	3900-00	
3.	08-कार्यालय व्यय(चिक खुराक / चिराई नाश / लावारिश लाशो के परिवहन पर व्यय)	25000-00	0	25000-00	
4.	11-लेखन सामग्री / छपाई	101000-00	93200-00	7800-00	
5.	12-कार्यालय फर्नीचर	51300-00	50700-00	600-00	
6.	15-गाडियों के डीजल पैट्रोल / अनुरक्षण पर व्यय	841000-00	390906-00	450094-00	
7.	23-गुप्त सेवा व्यय	33000-00	33000-00	0	
8.	29-वार्षिक / विशेष मरम्मत	348300-00	348260-00	40-00	
<b>डायल-100 परियोजना हेतु</b>					
1.	15-डायल-100 गाडियों के अनुरक्षण / सर्विस पर व्यय	1134000-00	502188-00	631812-00	
2.	16-अन्य व्यवसायिक सेवाए (होमगार्डो के मानदेय के भुगतान हेतु)	4168500-00	2935800-00	1232700-00	
3.	44-डायल-100 के प्रशिक्षण पर व्यय	394250-00	152027-00	242223-00	
<b>नगर निकाय चुनाव 2017</b>					
1.	42-अन्य व्यय(हल्के नाश्ते / लंच पैकेट व्यवस्था हेतु)	182000-00	182000-00	0	

लेखाशीर्षक/मानक मद	2017-2018 हेतु स्वीकृत अनुदान (अतिरिक्त अनुदान सहित)	अब तक हुआ कुल व्यय
1	2	3
वेतन	669381000	594772710
मंहगाई भत्ता	33469000	27225806
अन्य भत्ता	30103000	33324881
चिकित्सा व्यय	125000	4925706

#### 12. सब्सिडी कार्यक्रम के निस्पादन का ढ्रंग

वर्तमान में विभाग में कोई उपादान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

#### 13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्त कर्ताओं का विवरण:-

शुन्य

#### 14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में सूचनाओं की उपलब्धता:-

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप निबद्ध के बाद उसकी प्राप्ति क सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

#### 15. सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें:-

क्र० सं०	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1.	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	अ०पु०अ०/सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी (यदि क्षेत्राधिकारी मुख्यालय पर नहीं बैठते हैं तो सम्बन्धित थाना प्रभारी) कार्यालय	प्रातः 10 बजे से शाम 17:00 बजे तक (राजकीय अवकाशों को छोड़कर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3.	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिन तथा व्यक्ति की जीवन रक्षा के संबंध में 48 घण्टे
4.	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशी (10 रु० प्रथम घण्टा, प्रथम घण्टा के पश्चात 5 रु० प्रति 15 मिनट)	पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में नगद	उपरोक्त
5.	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली राशी का विवरण (10 रु० प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त
6.	सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्ति से सम्बन्धित परिपत्रों को कार्यालय से पंजीकृत डाक से भेजा जायेगा तथा अतिरिक्त प्रतियां होने पर अतिरिक्त शुल्क वहन करना होगा	सम्बन्धित व्यक्ति	कार्यालय समय में

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250 रु० प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना (25000 रु० अनधिक) भी देय होगा।

**16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम:-**

जनपद सम्भल पुलिस में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की गयी है:-

जन सूचना अधिकारी	अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद सम्भल	मो0 नं0:(सी0यू0जी0) 9454401093
सहायक जन सूचना अधिकारी	क्षेत्राधिकारी सम्भल	मो0 नं0:(सी0यू0जी0) 9454401546
	क्षेत्राधिकारी चन्दौसी	मो0 नं0:(सी0यू0जी0) 9454401547
	क्षेत्राधिकारी गुन्नौर	मो0 नं0:(सी0यू0जी0) 9454401321
	क्षेत्राधिकारी लाईन	मो0 नं0:(सी0यू0जी0) 9454457659
प्रथम अपीलीय अधिकारी	पुलिस अधीक्षक	मो0 नं0:(सी0यू0जी0) 9454400430

**17. अन्य कोई विहित सूचना नहीं:-**

(पंकज कुमार पाण्डेय)

अपर पुलिस अधीक्षक / जनसूचनाधिकारी  
जनपद सम्भल।